



सत्यमेव जयते

राजस्थान शासन

आय—व्ययक एक दृष्टि में Budget At A Glance

2010-11

आय—व्ययक एक दृष्टि में
Budget At A Glance

2010-11

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान, जयपुर
DIRECTORATE OF ECONOMICS & STATISTICS, RAJASTHAN, JAIPUR.

आय-व्ययक एक दृष्टि में 2010-11

BUDGET AT A GLANCE

(Rs. In crores/ करोड़ रुपये में)

मद Items	आय -व्ययक		संशोधित	आय -व्ययक
	लेखे	अनुमान(परि.)	अनुमान	अनुमान
	A/Cs 2008-09	B.E.(Modi.) 2009-10	R.E. 2009-10	B.E. 2010-11
1	2	3	4	5
1. राजस्व प्राप्तियां	33468.85	38267.97	37207.13	42463.49
Revenue Receipts				
(अ) राज्य के कर राजस्व State's Tax Revenue	14943.50	16742.29	16663.31	19020.86
(ब) अ-कर राजस्व Non-Tax Revenue	3888.46	5283.00	5126.96	4975.92
(स) केन्द्रीय करों के अंश Share in central Taxes	8998.72	9617.67	9258.13	12252.21
(द) सहायतार्थ अनुदान Grants -in-aid	5638.17	6625.01	6158.73	6214.50
2. पूंजीगत प्राप्तियां	10209.09	11508.59	12975.37	11932.56
Capital Receipts				
(अ) ऋणों की वसूली Recovery of Loans	89.23	102.29	119.63	111.11
(ब) अन्य प्राप्तियां Misc.Receipts	4.21	0.00	0.00	0.00
(स) उधार एवं अन्य देनदारियां Borrowings & other Liabilities	9950.65	11406.30	12855.74	11821.45
(इसमें से पुनर्भुगतान) (of which repayments)	(2432.63)	(2947.22)	(2945.13)	(3312.10)
(द) आकस्मिकता निधि Contingency Fund	165.00	0.00	0.00	0.00
2.1 शुद्ध उधार Net Borrowing	7518.02	8459.08	9910.61	8509.35
3. कुल प्राप्तियां (1+2) Total Receipts	43677.94	49776.56	50182.50	54396.05
4. आयोजना भिन्न व्यय Non-plan Expenditure	30778.13	35433.26	36641.95	39639.18
(अ) राजस्व खाते से (ब्याज की अदायगी) On revenue account (of which Interest Payment)	28524.99	33136.15	34336.17	35809.91
(ब) पूंजीगत खाते से On capital Account	2253.14	2297.11	2305.78	3829.27

आय-व्ययक एक दृष्टि में 2010-11

BUDGET AT A GLANCE

(Rs. In crores/ करोड़ रुपये में)

मद Items	आय -व्ययक		संशोधित	आय -व्ययक
	लेखे	अनुमान(परि.)	अनुमान	अनुमान
	A/Cs 2008-09	B.E.(Modi.) 2009-10	R.E. 2009-10	B.E. 2010-11
1	2	3	4	5
5. आयोजना व्यय	9560.07	10950.11	11218.50	12308.02
Plan Expenditure				
(अ) राजस्व खाते से On Revenue Account	4361.58	4936.25	5234.91	5766.50
(ब) पूंजीगत खाते से On Capital Account	5198.49	6013.86	5983.59	6541.52
6. केन्द्र प्रवर्तित योजना व्यय	2630.04	3353.99	2311.56	2400.60
C.S.S.Expenditure				
(अ) राजस्व खाते से On Revenue Account	1409.03	1604.21	1628.92	1985.31
(ब) पूंजीगत खाते से On Capital Account	1221.01	1749.78	682.64	415.29
7. कुल व्यय (4+5+6)	43133.24	49737.36	50172.01	54347.80
Total Expenditure				
(अ) राजस्व व्यय Revenue Expenditure	34295.60	39676.61	41200.00	43561.72
(ब) पूंजीगत व्यय Capital Expenditure	8672.64	10060.75	8972.01	10786.08
(स) आकस्मिकता निधि का विनियोग Appropriation to Contingency Fund	165.00	0.00	0.00	0.00
8. राजस्व घाटा / बचत (1-7अ)	-826.75	-1408.64	-3992.87	-1098.23
Revenue Deficit/Surplus				
(जिसमें से गैर आयोजना राजस्व घाटा / बचत)	(557.29)	(-286.51)	(-1589.51)	(1789.22)
(of which Non-plan Revenue Deficit/Surplus)				
9. बजट घाटा / बचत (3-7)	544.70	39.20	10.49	48.25
Budgetary Deficit/Surplus				
10. राजकोषीय घाटा	-6973.32	-8419.88	-9900.12	-8461.10
Fiscal Deficit				
11. प्रारम्भिक घाटा	-749.07	-1665.69	-3095.36	-1034.08
Primary Deficit				


आय व्ययक एक दृष्टि में

BUDGET AT A GLANCE


करोड़ रु०

CRORE Rs.


प्राप्तियाँ RECEIPTS



व्यय EXPENDITURE



घाटा/बचत DEFICIT / SURPLUS



2008-09

2009-10

2009-10

2010-11

लेखे
A/Cs


आय-व्ययक(परि.)
B.E(Mod.)

संशोधित
R.E.

आय-व्ययक
B.E.


रुपया आता है

RUPEE COMES FROM



रुपया जाता है

RUPEE GOES TO



प्राप्तियां
RECEIPTS

(Rs. In crores/ करोड़ रुपये में)

मद	आय –व्ययक लेखे	संशोधित अनुमान	आय –व्ययक अनुमान	
Items	A/Cs 2008-09	B.E.(Modi.) 2009-10	R.E. 2009-10	
1	2	3	4	
5				
1. राज्य के कर राजस्व	14943.50	16742.29	16663.31	19020.86
State's Tax Revenue				
(i) भू – राजस्व Land Revenue	162.52	250.06	160.16	185.06
(ii) मुद्रांक एवं पंजीयन Stamps & Registration	1356.63	1650.00	1450.00	1650.00
(iii) राज्य आबकारी State Excise	2169.89	2300.00	2200.00	2450.00
(iv) बिक्री कर Sales Tax	8904.50	10030.00	10200.00	11730.00
(v) वाहनों पर कर Tax on Vehicle	1213.56	1300.00	1300.00	1450.00
(vi) बिजली शुल्क Electricity Duty	654.05	707.23	708.14	778.80
(vii) अन्य कर एवं शुल्क Other Taxes & Duties	482.35	505.00	645.01	777.00
2. केन्द्रीय करों का अंश	8998.72	9617.67	9258.13	12252.21
Share in Central Taxes				
(i) आयकर Income Tax	1852.90	1996.88	2122.38	2271.76
(ii) निगम कर Corporation Tax	2950.81	3550.07	3810.09	5108.99
(iii) संघ उत्पादन शुल्क Union Excise Duty	1500.18	1145.62	1043.73	1612.52
(iv) सीमा शुल्क Custom Duty	1720.20	1750.45	1295.73	1979.84
(v) सेवा कर Service Tax	972.21	1171.72	977.59	1267.95
(vi) अन्य कर Other Taxes	2.42	2.93	8.61	11.15

प्राप्तियां

RECEIPTS

(Rs. In crores/ करोड़ रुपये में)

मद	आय –व्ययक	संशोधित	आय –व्ययक	
लेखे	अनुमान(परि.)	अनुमान	अनुमान	
Items	A/Cs	B.E.(Modi.)	R.E.	B.E.
	2008-09	2009-10	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
3. कर भिन्न राजस्व	3888.46	5283.00	5126.96	4975.92
Non Tax Revenue				
(i) ब्याज प्राप्तियां Interest Receipts	1195.96	1189.32	1169.34	1129.25
(ii) लाभांश एवं लाभ Dividends & Profits	43.39	42.90	39.63	38.12
(iii) अन्य कर भिन्न राजस्व Other Non-Tax Revenue	2649.11	4050.78	3917.99	3808.55
3.1 सहायतार्थ अनुदान Grants-in-aid	5638.17	6625.01	6158.73	6214.50
3.2 कर भिन्न राजस्व एवं सहायतार्थ अनुदान Non Tax Revenue and Grants in Aid	9526.63	11908.01	11285.69	11190.42
3.3 कुल राजस्व प्राप्तिया (1+2+3.2) Total Revenue Receipts	33468.85	38267.97	37207.13	42463.49

प्राप्तियां

RECEIPTS

(Rs. In crores/ करोड़ रुपये में)


मद Items	आय –व्ययक लेखे अनुमान(परि.)		संशोधित अनुमान	आय –व्ययक अनुमान
	A/Cs 2008-09	B.E.(Modi.) 2009-10	R.E. 2009-10	B.E. 2010-11
1	2	3	4	5
4. पूंजीगत प्राप्तियां Capital Receipts	10209.09	11508.59	12975.37	11932.56
(i) प्रत्यादत्त उधार एवं अग्रिम Recoveries of Loans & Advances	89.23	102.29	119.63	111.11
(ii) आन्तरिक ऋण Internal Debt	7151.97	8845.72	8535.14	9745.54
(iii) केन्द्रीय सरकार से लिया गया ऋण Loans from Central Government	325.90	554.00	288.03	485.50
(iv) आकस्मिकता निधि Contingency Fund	165.00	0.00	0.00	0.00
(v) शुद्ध सार्वजनिक लेखा Net Public Accounts	2472.78	2006.58	4032.57	1590.41
(vi) अन्य पूंजीगत प्राप्तियां Other Capital Receipts	4.21	0.00	0.00	0.00
5. कुल प्राप्तियां (3.3+4) Total Receipts	43677.94	49776.56	50182.50	54396.05

प्राप्तियाँ

RECEIPTS

- राज्य कर राजस्व
STATE'S TAX REVENUE
- कर—भिन्न राजस्व
NON-TAX REVENUE
- पूँजीगत प्राप्तियाँ
CAPITAL RECEIPTS
- केन्द्रीय करों का अंश
SHARE IN CENTRAL TAXES
- सहायतार्थ अनुदान
GRANTS-IN-AID

करोड़ रु०
CRORE Rs.



व्यय
EXPENDITURE

(Rs. In crores/ करोड़ रुपये में)

मद	आय –व्ययक	संशोधित	आय –व्ययक	
लेखे	अनुमान(परि.)	अनुमान	अनुमान	
Items	A/Cs 2008-09	B.E.(Modi.) 2009-10	R.E. 2009-10	B.E. 2010-11
1	2	3	4	5
I राजस्व व्यय				
REVENUE EXPENDITURE				
(क) आयोजना भिन्न व्यय	28524.99	33136.15	34336.17	35809.91
NON-PLAN-EXPENDITURE				
1. सामान्य सेवाएं General Services	12840.06	15251.98	15852.80	16537.50
2. सामाजिक सेवाएं Social Services	11375.92	13310.30	13643.98	14623.98
3. आर्थिक सेवाएं Economic Services	4282.89	4562.72	4827.63	4636.28
4. सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान Grants-in-aid & Contribution	26.12	11.15	11.76	12.15
(ख) आयोजना व्यय	4361.58	4936.25	5234.91	5766.50
PLAN EXPENDITURE				
1. सामान्य सेवाएं General Services	85.71	23.96	86.68	86.71
2. सामाजिक सेवाएं Social Services	1830.66	2068.53	2265.71	2649.84
3. आर्थिक सेवाएं Economic Services	2445.21	2843.76	2882.52	3029.95
(ग) केन्द्र प्रवर्तित योजना	1409.03	1604.21	1628.92	1985.31
CENTRALLY SPONSORED SCHEME				
1. सामान्य सेवाएं General Services	24.11	8.04	50.75	65.73
2. सामाजिक सेवाएं Social Services	846.30	945.21	962.23	1219.61
3. आर्थिक सेवाएं Economic Services	538.62	650.96	615.94	699.97
(घ) कुल राजस्व व्यय (I) (क+ख+ग)	34295.60	39676.61	41200.00	43561.72
TOTAL REVENUE EXPENDITURE				

व्यय
EXPENDITURE

(Rs. In crores/ करोड़ रुपये में)

मद	आय –व्ययक		संशोधित	आय –व्ययक
	लेखे	अनुमान(परि.)	अनुमान	अनुमान
Items	A/Cs 2008-09	B.E.(Modi.) 2009-10	R.E. 2009-10	B.E. 2010-11
1	2	3	4	5
II. पूंजीगत व्यय				
CAPITAL EXPENDITURE				
(क) आयोजना भिन्न व्यय	-195.85	-671.75	-671.54	507.02
NON-PLAN-EXPENDITURE				
1. सामान्य सेवाएं General Services	-211.86	-687.66	-686.44	492.40
2. सामाजिक सेवाएं Social Services	15.90	15.90	14.89	14.61
आर्थिक सेवाएं 3. Economic Services	0.11	0.01	0.01	0.01
(ख) आयोजना व्यय	4884.25	5818.51	5553.95	6533.66
PLAN EXPENDITURE				
1. सामान्य सेवाएं General Services	53.04	144.88	103.73	129.42
2. सामाजिक सेवाएं Social Services	2036.97	2100.01	2433.95	2370.32
3. आर्थिक सेवाएं Economic Services	2794.24	3573.62	3016.27	4033.92
(ग) केन्द्र प्रवर्तित योजना	1211.55	1717.46	643.62	392.32
CENTRALLY SPONSORED SCHEME				
1. सामान्य सेवाएं General Services	13.92	19.43	6.64	21.01
2. सामाजिक सेवाएं Social Services	1035.38	1508.37	418.70	59.57
3. आर्थिक सेवाएं Economic Services	162.25	189.66	218.28	311.74
(घ) कुल पूंजीगत व्यय(II) (क+ख+ग)	5899.95	6864.22	5526.03	7433.00
TOTAL CAPITAL EXPENDITURE(II)				

व्यय

EXPENDITURE

(Rs. In crores/ करोड़ रुपये में)


मद	आय – व्ययक		संशोधित	आय – व्ययक
	लेखे	अनुमान(परि.)	अनुमान	अनुमान
Items	A/Cs	B.E.(Modi.)	R.E.	B.E.
	2008-09	2009-10	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
पूंजीगत व्यय				
CAPITAL EXPENDITURE				
III. लोक ऋण (आयोजना भिन्न)	2432.63	2947.23	2945.13	3312.10
PUBLIC DEBT (NON-PLAN)				
IV. ऋण एवं अग्रिम	340.06	249.30	500.85	40.98
LOAN AND ADVANCES				
1. आयोजना भिन्न	16.36	21.63	32.19	10.15
Non-Plan				
2. आयोजना	314.24	195.35	429.64	7.86
Plan				
3. केन्द्र प्रवर्तित योजना	9.46	32.32	39.02	22.97
C.S.S.				
V. आकस्मिकता निधि का विनियोग	165.00	0.00	0.00	0.00
Appropriation to Contingency Fund				
वृहत पूंजीगत व्यय	8837.64	10060.75	8972.01	10786.08
GRAND TOTAL CAPITAL EXPENDITURE				

व्यय

EXPENDITURE

- ऋण एवं अग्रिम
LOANS AND ADVANCES
- लोक ऋण {आयोजना भिन्न}
PUBLIC DEBT (NON-PLAN)
- कुल पूँजीगत व्यय
TOTAL CAPITAL EXPENDITURE
- कुल राजस्व व्यय
TOTAL REVENUE EXPENDITURE

करोड़ ₹0
CRORE Rs.



मुख्य विशेषताएं

वार्षिक योजना

2010-11

वार्षिक योजना 2010-11 के मुख्य बिन्दु

वार्षिक योजना का आकार:

राज्य विधानसभा में प्रस्तुत आय-व्यय अनुमान में वार्षिक योजना 2010-11 के लिए 23822.12 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। इसमें सकल बजटीय समर्थन के रूप में 12308.02 करोड़ रुपये तथा आन्तरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन के रूप में 11514.10 करोड़ रुपये शामिल हैं। बजटीय प्रावधानों का मुख्य शीर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि करोड़ रुपयो में)

विकास का शीर्ष/सेक्टर	बजटेड परिव्यय	कुल से प्रतिशत
1. कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं	1348.15	5.66
2. ग्रामीण विकास	1332.15	5.59
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	101.91	0.43
4. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	853.07	3.58
5. विद्युत	12434.00	52.20
6. उद्योग एवं खनिज	149.43	0.63
7. यातायात	896.76	3.76
8. वैज्ञानिक सेवाएं	5.76	0.02
9. सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	6487.14	27.23
10. आर्थिक सेवाएं	143.11	0.60
11. सामान्य सेवाएं	70.64	0.30
योग	23822.12	100.00

क्षेत्रवार मुख्य-मुख्य विशेषताएं:

1. कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं:

- 136.20 करोड़ रुपये आन्तरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के शामिल
 - ◆ कृषि विपणन बोर्ड के 126.20 करोड़ रुपये ।
 - ◆ राज्य भण्डार व्यवस्था निगम के 10.00 करोड़ रुपये ।

- कृषि विभाग के लिए 785.02 करोड़ रुपये का प्रावधान जिसमें फसल मुआवजे की राशि शामिल।
- तिलहन, दालें, ऑयल पॉम एवं मक्का (आईसोपॉम) की एकीकृत योजना हेतु राज्यांश के रूप में 15.00 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 241.51 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- राष्ट्रीय बागवानी मिशन हेतु 12.00 करोड़ रुपये एवं सूक्ष्म सिंचाई योजना हेतु 16.00 करोड़ रुपये का राज्यांश के रूप में प्रावधान।
- गोवर्धन ड्रेन से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जल आपूर्ति हेतु 14.24 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:
 - ◆ खाद्यान्न अन्तर्गत क्षेत्रफल – 127.75 लाख हैक्टेयर
 - ◆ खाद्य फसलों का उत्पादन – 177.65 लाख टन
 - ◆ तिलहन अन्तर्गत क्षेत्रफल – 42.52 लाख हैक्टेयर
 - ◆ तिलहन का उत्पादन – 59.05 लाख टन
 - ◆ गन्ना अन्तर्गत क्षेत्रफल – 0.05 लाख हैक्टेयर
 - ◆ गन्ना उत्पादन – 2.80 लाख टन
 - ◆ कपास अन्तर्गत क्षेत्रफल – 3.50 लाख हैक्टेयर
 - ◆ कपास उत्पादन – 8.24 लाख गांठें
 - ◆ उच्च उत्पादकता वाले बीजों का वितरण – 13.87 लाख क्विंटल
 - ◆ अन्य उन्नत बीजों का वितरण – 8.08 लाख क्विंटल
 - ◆ खाद का उपभोग – 12.27 लाख टन
 - ◆ फल पौधारोपण – 267 हैक्टेयर
 - ◆ बूंद-बूंद सिंचाई – 20000 हैक्टेयर
 - ◆ स्प्रिंकलर सिंचाई – 75000 हैक्टेयर
 - ◆ कृत्रिम गर्भाधान – 21 लाख

- ◆ बंध्याकरण – 11 लाख
- ◆ मत्स्य बीज उत्पादन – 380 मिलियन संख्या
- ◆ मत्स्य उत्पादन – 28000 मैट्रिक टन
- ◆ सहकारी संस्थाओं के माध्यम से अल्प, मध्यम एवं दीर्घ कालीन ऋणों का वितरण – 4330 करोड़ रुपये (स्तर)
- ◆ भण्डारण क्षमता – 1 लाख मैट्रिक टन

2. ग्रामीण विकास:

- केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं हेतु राज्यांश के रूप में 681.52 करोड़ रुपये का प्रावधान जिसमें निम्न शामिल है:—
 - ◆ एस. जी. एस. वाई. (ग्रामीण हाट को शामिल करते हुए) के लिए 22.50 करोड़ रुपये ।
 - ◆ मरू विकास कार्यक्रम के लिए 33.00 करोड़ रुपये ।
 - ◆ सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम के लिए 5.00 करोड़ रुपये ।
 - ◆ बंजर भूमि विकास के लिए 3.50 करोड़ रुपये ।
 - ◆ मिड-डे-मील के लिए 95.00 करोड़ रुपये ।
 - ◆ इन्दिरा आवास योजना के लिए 54.60 करोड़ रुपये ।
 - ◆ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के लिए 400 करोड़ रुपये ।
 - ◆ जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन के लिए 6.50 करोड़ रुपये ।
 - ◆ राजस्व प्रशासन के सशक्तीकरण हेतु 11.57 करोड़ रुपये ।
 - ◆ सेटलमेंट के लिए 49.85 करोड़ रुपये आदि ।
- विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना हेतु 160.00 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान हेतु 150 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि हेतु 288.52 करोड़ रुपये का प्रावधान ।

➤ बाह्य सहायतिथ "पश्चिमी राजस्थान में गरीबी कम करने हेतु परियोजना" के लिए 14.00 करोड़ रुपये का प्रावधान ।

➤ महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:

- ◆ इन्दिरा आवास योजना अन्तर्गत 100837 नये आवासों का निर्माण
- ◆ मिड-डे-मील – 80.71 लाख छात्र/छात्राएं
- ◆ स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना अन्तर्गत 62063 स्वरोजगारी को लाभान्वित करना ।
- ◆ 30 हजार लोगों को भूखण्डों का आवंटन ।

3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम:

➤ सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 92.68 करोड़ रुपये का प्रावधान ।

➤ मगरा विकास हेतु 4.00 करोड़ रुपये एवं मेवात क्षेत्र विकास के लिए 5.23 करोड़ रुपये का प्रावधान ।

4. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण:

➤ बाह्य सहायतिथ परियोजनाओं हेतु 197.50 करोड़ रुपये का प्रावधान ।

- ◆ राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना के लिए 97.50 करोड़ रुपये ।
- ◆ लघु सिंचाई सुधार योजना के लिए 100.00 करोड़ रुपये ।

➤ त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम अन्तर्गत परियोजनाओं हेतु 240.00 करोड़ रुपये का प्रावधान ।

- ◆ नर्बदा परियोजना के लिए 200.00 करोड़ रुपये ।
- ◆ गंग नहर के आधुनिकीकरण के लिए 10.00 करोड़ रुपये एवं
- ◆ मरू/जनजाति क्षेत्रों में लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए 30.00 करोड़ रुपये ।

➤ 59800 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन किया जाना ।

- ◆ 26500 हैक्टेयर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा

- ◆ 30000 हैक्टेयर में नर्बदा के द्वारा
- ◆ 300 हैक्टेयर में बीसलपुर के द्वारा
- ◆ 3000 हैक्टेयर में लघु सिंचाई योजनाओं के द्वारा
- 51400 हैक्टेयर क्षेत्र में भूमि विकास कार्य
 - ◆ 5000 हैक्टेयर इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में ।
 - ◆ 6000 हैक्टेयर चम्बल सिंचित क्षेत्र में ।
 - ◆ 16,400 हैक्टेयर सिद्धमुख-नोहर क्षेत्र में ।
 - ◆ 12,000 हैक्टेयर अमरसिंह उप शाखा क्षेत्र में ।
 - ◆ 12,000 हैक्टेयर बीसलपुर क्षेत्र में ।

5. विद्युत:

- 9707.00 करोड़ रुपये आन्तरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के सम्मिलित ।
 - ◆ 5544.00 करोड़ रुपये राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के ।
 - ◆ 2040.00 करोड़ रुपये राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के ।
 - ◆ 973.00 करोड़ रुपये जयपुर डिस्कॉम के ।
 - ◆ 375.00 करोड़ रुपये जोधपुर डिस्कॉम के ।
 - ◆ 775.00 करोड़ रुपये अजमेर डिस्कॉम के ।
- एफ.आर.पी. के अन्तर्गत संक्रमण सहायता के रूप में 400.00 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- राज्य सरकार द्वारा 2326 करोड़ रुपये का इक्विटी अंशदान ।
- 841 ग्रामों का विद्युतीकरण एवं 57970 कुओं का ऊर्जीकरण ।
- घरेलू लाइटिंग सिस्टम की स्थापना – 2197

6. उद्योग एवं खनन:

- राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड के 122 करोड़ रुपये के आन्तरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन शामिल ।
- उद्योग विभाग (सिपेट सहित) हेतु 6.55 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- खादी एवं ग्रामोद्योग हेतु 5.75 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- निवेश संवर्धन ब्यूरो हेतु 3.50 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- खान एवं भू-गर्भ विभाग हेतु 3.46 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- ग्रामीण गैर-कृषि विकास अभिकरण हेतु 1.29 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:-
 - ◆ प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत लाभान्वित व्यक्ति – 1337
 - ◆ उत्पादन स्तर – ऊनी खादी – 7.00 करोड़ रु.
 - ◆ उत्पादन स्तर – सूती खादी – 13.00 करोड़ रु.
 - ◆ उत्पादन स्तर – ग्रामोद्योग – 80.00 करोड़ रु.
 - ◆ रोजगार – खादी उद्योग – 2600 व्यक्ति
 - ◆ रोजगार – ग्रामोद्योग – 10000 व्यक्ति
 - ◆ राज्य वित्त निगम
 - ऋणों की स्वीकृति – 525 करोड़ रु.
 - ऋणों का वितरण – 400 करोड़ रु.
 - ऋणों की वसूली – 430 करोड़ रु.
 - ◆ खनन क्षेत्रों में सडकों का निर्माण – 4.44 किमी.

7. परिवहन:

- 160.50 करोड़ रुपये आन्तरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन के शामिल
 - ◆ 138.00 करोड़ रुपये राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के ।

- ◆ 22.50 करोड़ रुपये राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम के।
- आर.आई.डी.एफ. अन्तर्गत नाबार्ड सहायतिथ सड़क कार्यों के लिए 250.00 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
 - ◆ 50 कि.मी. सड़कों का निर्माण एवं 2250 कि.मी. सड़कों का पुनरुद्धार।
- केन्द्रीय सड़क निधि के तहत 164.85 करोड़ रुपये का अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रावधान ।
 - ◆ 338 किमी. राज्य राजमार्ग एवं मुख्य जिला सड़कों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण।
- राज्य सड़क विकास निधि अन्तर्गत 200.00 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
 - ◆ 200 किमी. लम्बाई की सड़कों का निर्माण।
- राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा 1000 नई बसों की खरीद ।

8. वैज्ञानिक सेवाएं:

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिये 5.00 करोड़ रुपये एवं पर्यावरण विभाग के लिये 0.76 करोड़ रुपये का प्रावधान ।

9. सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं:

शिक्षा

- शिक्षा क्षेत्र के लिये कुल 1195.59 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- प्राथमिक शिक्षा के लिये 945.35 करोड़ रुपये का प्रावधान
 - ◆ इसमें 900.00 करोड़ रुपये सर्व शिक्षा अभियान के लिए राज्यांश के रूप में सम्मिलित ।
- माध्यमिक शिक्षा के लिये 131.29 करोड़ रुपये का प्रावधान (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए राज्यांश को सम्मिलित करते हुए) ।
- विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा के लिये 26.24 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- साक्षरता एवं सतत् शिक्षा के लिये 36.40 करोड़ रुपये का प्रावधान।

- कला एवं संस्कृति के लिये 8.68 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- तकनीकी शिक्षा के लिये 39.76 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- खेल एवं युवा कल्याण के लिये 6.78 करोड़ रुपये का प्रावधान ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेक्टर (आयुर्वेद सहित) के लिये 475.01 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- बाह्य सहायतिथ राजस्थान हेल्थ सिस्टम डवलपमेन्ट प्रोजेक्ट के लिए 92.00 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के लिए 146.50 करोड़ रुपये का प्रावधान जिसमें 16.50 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष योजना एवं 25 करोड़ रुपये धन्वन्तरी एम्बूलेन्स सेवा योजना के लिए शामिल है।
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए 151.85 करोड़ रुपये का प्रावधान:—
 - ◆ 65 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना ।
 - ◆ 30 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना ।
 - ◆ 695 शैय्याओं की वृद्धि ।
- चिकित्सा शिक्षा के लिए 51.93 करोड़ रुपये का प्रावधान जिसमे 20 लाख रुपये राजस्थान चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय हेतु शामिल ।
- आयुर्वेद हेतु 19.88 करोड़ रुपये का प्रावधान ।

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग

- जल प्रदाय योजनाओं हेतु 1230.95 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
 - ◆ शहरी जल प्रदाय योजनाओं के लिए 555.00 करोड़ रुपये ।
 - ◆ ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के लिए 675.49 करोड़ रुपये ।
 - ◆ अधीनस्थ अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्थान के लिए 0.46 करोड़ रुपये ।

- उक्त प्रावधान में बाह्य सहायतिथ परियोजनाओं के लिए 125.49 करोड़ रुपये का प्रावधान भी शामिल:—
 - ◆ बीसलपुर—जयपुर जल प्रदाय योजना के लिए 50.00 करोड़ रुपये ।
 - ◆ शहरी जल प्रदाय योजना, जोधपुर की पुर्नसंरचना के लिए 70.00 करोड़ रुपये ।
 - ◆ आपणी योजना प्रथम—चरण के लिए 5.49 करोड़ रुपये ।
- 110 मुख्य एवं अन्य बस्तियों तथा 2190 स्लिपड बैक एनसी/पीसी बस्तियों को समाविष्ट करने का लक्ष्य ।

आवास एवं नगरीय विकास

- आवास एवं नगरीय विकास के लिये 2601.09 करोड़ रुपये का प्रावधान
- इसमें 1388.40 करोड़ रुपये आन्तरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन के शामिल
 - ◆ राजस्थान आवासन मण्डल के 300.00 करोड़ रुपये ।
 - ◆ जयपुर विकास प्राधिकरण के 340.00 करोड़ रुपये ।
 - ◆ अन्य शहरी स्थानीय निकायों के 748.40 करोड़ रुपये ।
- बाह्य सहायतिथ राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम हेतु 225.00 करोड़ रुपये का प्रावधान
- पुलिस आवास के लिए हुडको को किश्त का भुगतान करने के लिए 68.43 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के लिए 307.58 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- समग्र आवास एवं कच्ची बस्ती विकास कार्यक्रम हेतु 134.58 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- लघु एवं मध्यम कस्बों के लिए शहरी आधारभूत विकास योजना हेतु 173.76 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- जयपुर मेट्रो के लिए 179.00 करोड़ रुपये का प्रावधान ।

- राजस्थान शहरी विकास निधि में अंशदान के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- राज्य वित्त आयोग के तहत शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में 60 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- स्वर्ण जयन्ति शहरी रोजगार योजना के लिए राज्यांश के रूप में 6.00 करोड़ रुपये का प्रावधान
 - ◆ शहरी स्वरोजगार अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवारों के 5500 व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य ।
 - ◆ 1.10 लाख मानव दिवसों का सृजन ।
- राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना हेतु राज्यांश के रूप में 2.66 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा शहरी क्षेत्रों में 10000 आवासों का निर्माण ।

पिछड़ी जातियों का कल्याण

- अनु.जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिये 184.78 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- इसमें अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु 90.38 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल
 - ◆ 437840 छात्रों को लाभान्वित करने का लक्ष्य ।
- विभिन्न छात्रावास भवनों के निर्माण के लिए 21.76 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवारों के बच्चों को पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 3.01 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
 - ◆ 77319 छात्रों को लाभान्वित करने का लक्ष्य ।
- 80 सम्बल गाँवों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 4.00 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- अनु. जाति एवं अनु. जनजाति के व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों की रक्षा हेतु 1.95 करोड़ रुपये का प्रावधान ।

- अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम को मैचिंग सहायता के लिए एक करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- पालनहार योजनान्तर्गत निराश्रित बच्चों एवं विधवा पेंशनधारियों के 2 बच्चों को नजदीकी रिश्तेदारों के द्वारा संरक्षण/देखरेख प्रदान करवाने हेतु 22.00 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- अनुप्रति योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रों को विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए 2.00 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- देवनारायण योजना के लिए 21.95 करोड़ रुपये का प्रावधान ।

समाज कल्याण

- समाज कल्याण के लिए कुल 185.22 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन के लिए 100.00 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
 - ◆ 5.91 लाख व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करना ।
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत जनश्री बीमा योजना के लिए 19 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
 - ◆ 26.04 लाख बी.पी.एल. परिवारों को जीवन बीमा सुरक्षा ।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना अन्तर्गत 20.00 करोड़ रुपये का प्रावधान
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना अन्तर्गत 13.31 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा एवं कल्याण हेतु 8.41 करोड़ रुपये का प्रावधान
 - ◆ 3333 पोलियो करेक्शन शिविरों का आयोजन ।
 - ◆ 1216 व्यक्तियों को प्रोस्थेटिक सहायता ।
 - ◆ 3050 व्यक्तियों को विकलांग छात्रवृत्ति ।
 - ◆ 300 निःशक्त व्यक्तियों को स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण हेतु सहायता ।

- बाल कल्याण हेतु 9.23 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- महिलाओं के कल्याण हेतु 2.81 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- वृद्धावस्था गृहों की स्थापना हेतु 1.79 करोड़ रुपये का प्रावधान ।

जनजातीय क्षेत्रीय विकास

- विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 56.09 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- संविधान के अनुच्छेद 275 (1) अन्तर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 79.70 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिये “महाराष्ट्र पैटर्न” अन्तर्गत निर्बन्ध अनुदान के रूप में 124.83 करोड़ रुपये का प्रावधान ।

महिला एवं बाल विकास

- महिला विकास कार्यक्रमों हेतु 18.00 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
 - ◆ साथियों को मानदेय का भुगतान ।
 - ◆ प्रबन्धकीय क्षमता विकास एवं आय सृजन गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु ।
 - ◆ सामुहिक विवाहों के लिए अनुदान प्रदान करने हेतु ।
 - ◆ महिला स्वयं सहायता समूहों को समय पर ऋण चुकाने पर प्रोत्साहन स्वरूप ब्याज दर में छूट हेतु सहायता ।
- पोषाहार हेतु 324.29 करोड़ रुपये का प्रावधान
 - ◆ 48.37 लाख बच्चों व महिलाओं को पूरक पोषाहार द्वारा लाभान्वित करने हेतु ।
 - ◆ आशा सहयोगिनियों को मानदेय भुगतान हेतु ।
 - ◆ आंगनबाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायकों को मानदेय भुगतान हेतु ।
 - ◆ समेकित बाल विकास योजना अन्तर्गत प्रशासन एवं प्रशिक्षण के लिए ।
 - ◆ 380 आंगनबाडी भवनों के निर्माण के लिए ।

- ◆ राष्ट्रीय पोषाहार मिशन पायलेट परियोजना के वचनबद्ध दायित्वों हेतु 3.63 करोड़ रुपये।

10. आर्थिक सेवाएं:

- पर्यटन विभाग के लिये 25.00 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना द्वितीय चरण हेतु 10.00 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- सूचना एवं प्रौद्योगिकी के लिए 65.76 करोड़ रुपये का प्रावधान जिसमें नेशनल ई-गवर्नेंस योजना हेतु राशि भी शामिल।
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति हेतु 7.50 करोड़ रुपये का प्रावधान जिसमें 7 करोड़ रुपये अन्नपूर्णा योजना हेतु एवं 0.50 करोड़ रुपये राशन टिकट योजना हेतु शामिल।

11. सामान्य सेवाएं:

- विभिन्न राज्य एवं जिला-स्तरीय भवनों के निर्माण हेतु 50.25 करोड़ रुपये का प्रावधान
 - ◆ पुलिस भवनों के लिए 18.00 करोड़ रुपये।
 - ◆ जोधपुर में उच्च न्यायालय के नये भवन एवं अन्य न्यायिक भवनों के लिए 26.60 करोड़ रुपये।
 - ◆ सामान्य प्रशासन विभाग के भवनों के लिए 4.40 करोड़ रुपये।
 - ◆ देवस्थान के लिए 1.25 करोड़ रुपये।
- राजस्थान विनियोजन संवर्द्धन नीति-2003 के तहत अनुदान हेतु 1.00 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- 83 फास्ट ट्रेक न्यायालयों के वचनबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए 18.30 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- न्यायिक अकादमी के संचालन व्यय को पूरा करने के लिए 1.05 करोड़ रुपये का प्रावधान।

HIGHLIGHTS

ANNUAL PLAN

2010-11

Highlights of Annual Plan 2010-11

Annual Plan Size:

Rs. 23822.12 crores is proposed for the Annual Plan 2010-11 in the Budget presented in the Rajasthan Legislative Assembly. This includes gross budgetary support of Rs. 12308.02 crores and Internal & Extra Budgetary Resources (IEBR) of Rs. 11514.10 crores. The major head-wise break-up of the budgeted outlays are as under:-

(Rs. in crores)			
S. No.	Head of Development	Budgeted Outlay	% to Total
1.	Agriculture & Allied Services	1348.15	5.66
2.	Rural Development	1332.15	5.59
3.	Special Area Programme	101.91	0.43
4.	Irrigation & Flood Control	853.07	3.58
5.	Power	12434.00	52.20
6.	Industry & Minerals	149.43	0.63
7.	Transport	896.76	3.76
8.	Scientific Services	5.76	0.02
9.	Social & Community Services	6487.14	27.23
10.	Economic Services	143.11	0.60
11.	General Services	70.64	0.30
Total		23822.12	100.00

Sector-wise Highlights:-

I. Agriculture & Allied Services

- Includes IEBR of Rs. 136.20 crores.
 - Rs. 126.20 crores of Agriculture Marketing Board
 - Rs. 10 crore of State Warehousing Corporation
- Provision of Rs. 785.02 crores for Agriculture Department which includes funds for crop compensation also.
- Provision of Rs. 15 crores for Integrated Scheme of Oilseed, Pulses, Oil Pam & Maize (ISOPOM) as State Share.
- Provision of Rs. 241.51 crores as ACA for Rastriya Krishi Vikas Yojana (RKVY).

- Provision of Rs. 12 crores for National Horticulture Mission and Rs. 16 crores for Micro Irrigation Scheme as State Shares.
- Provision of Rs. 14.24 crores to supply water from Govardhan Drain to Keoladevi National Park.
- Important physical targets:
 - Area under Food Crops – 127.75 lakh ha.
 - Production of Food Crops – 177.65 lakh tonnes
 - Area under Oilseeds – 42.52 lakh ha.
 - Production of Oilseeds – 59.05 lakh tonnes
 - Area under Sugarcane – 0.05 lakh ha.
 - Production of Sugarcane – 2.80 lakh tonnes
 - Area under Cotton – 3.50 lakh ha.
 - Production of Cotton – 8.24 lakh bales
 - Distribution of HYV Seeds – 13.87 lakh Qtls.
 - Other Improved Seed Distribution – 8.08 lakh Qtls.
 - Consumption of Fertilizer – 12.27 Lac Tonnes
 - Fruit Plantation – 267 ha.
 - Drip Irrigation – 20000 ha.
 - Sprinkler Irrigation – 75000 ha.
 - Artificial Insemination – 21 lakhs
 - Castration – 11 lakhs
 - Fish Seed Production – 380 Million No.
 - Fish Production – 28000 Tonnes
 - Distribution of short, medium and long term loan through Cooperative Institutions – Rs. 4330 crores (level).
 - Storage Capacity – 1 lakh MT

II. Rural Development

- Provision of Rs. 681.52 crores as State matching share for Centrally Sponsored Schemes which includes
 - Rs. 22.50 crores for SGSY including Rural Haat.
 - Rs. 33.00 crores for Desert Development Programme
 - Rs. 5 crores for Drought Prone Area Programme
 - Rs. 3.50 crores for Wasteland Development

- Rs. 95 crores for Mid-day-meal
- Rs. 54.60 crores for Indira Awas Yojana (IAY)
- Rs. 400 crores for National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS)
- Rs. 6.50 crores for DRDA Administration
- Rs. 11.57 crores for strengthening of revenue administration
- Rs. 49.85 crores for Settlement etc.
- Provision of Rs. 160 crores for MLA Local Area Dev. Scheme.
- Provision of Rs. 150 crores as Grants to PRIs under SFC.
- Provision of Rs. 288.52 crores as ACA for Backward Region Grant Fund.
- Provision of Rs. 14 crores for Externally Aided Project 'Mitigating Poverty in Western Rajasthan'.
- Important physical targets:
 - Construction of 100837 new houses under IAY
 - Mid-day-meal – 80.71 lakh students
 - 62063 Swarozgaries to be benefitted under SGSY
 - Plots to be allotted to 30000 persons.

III. Special Area Programme

- Provision of Rs. 92.68 crores as ACA for Border Area Development Programme.
- Provision of Rs. 5.23 crores for Mewat Area Development and Rs. 4 crores for Magra Development.

IV. Irrigation & Flood Control

- Provision of Rs. 197.50 crores for EAPs
 - Rs. 97.50 crores for Raj. Water Sector Restructuring Project.
 - Rs. 100 crores for Minor Irrigation Improvement Scheme.
- Provision of Rs. 240 crores for AIBP Projects.
 - Rs. 200 crores for Narbada,
 - Rs. 10 crores for Gang Canal Modernisation and
 - Rs. 30 crores for minor irrigation projects in Desert / Tribal Areas.

- Additional irrigation potential to be created – 59800 hectares.
 - 26500 ha. through IGNP
 - 30000 ha. through Narmada
 - 300 ha. through Bisalpur
 - 3000 ha. through minor irrigation schemes
- OFD works – 51400 ha.
 - 5000 ha. in IGNP area
 - 6000 ha. in Chambal Command area
 - 16400 ha. in Sidhmukh-Nohar area
 - 12000 ha. in Amarsingh Sub Branch area
 - 12000 ha. in Bisalpur area

V. Power

- Includes IEBR of Rs. 9707 crores.
 - Rs. 5544 crores of Raj. Rajya Vidyut Utpadan Nigam
 - Rs. 2040 crores of Raj. Rajya Vidyut Prasaran Nigam
 - Rs. 973 crores of DISCOM, Jaipur
 - Rs. 375 crores of DISCOM, Jodhpur
 - Rs. 775 crores of DISCOM, Ajmer
- Provision of Rs. 400 crores as Transition Support for FRP
- Rs. 2326 crores as equity contribution by the State Government.
- Electrification of 841 villages and energisation of 57970 wells.
- Installation of Domestic Lighting System (DLS) – 2197 No.

VI. Industry and Minerals

- Includes IEBR of Rs. 122 crores of RSMM Ltd.
- Provision of Rs. 6.55 crores for Industries Department including CIPET.
- Provision of Rs. 5.75 crores for Khadi & Village Industries.
- Provision of Rs. 3.50 crores for Bureau of Investment Promotion.

- Provision of Rs. 3.46 crores for Mines & Geology Deptt.
- Provision of Rs. 1.29 crores for RUDA.
- Important physical targets:
 - Persons to be benefitted under Prime Minister Rojgar Yojana – 1337.
 - Production Level - Woolen Khadi - Rs. 7 crores
 - Production Level - Cotton Khadi – Rs. 13 crores
 - Production Level - Village Industries – Rs. 80 crores
 - Employment – Khadi Industry – 2600 persons
 - Employment – Village Industry – 10000 persons
 - Rajasthan Financial Corporation
 - Sanction of Loan – Rs. 525 crores
 - Disbursement of Loan – Rs. 400 crores
 - Recovery of Loan – 430 crores
 - Construction of roads in mineral areas – 4.44 km.

VII. Transport

- Includes IEBR of Rs. 160.50 crores.
 - Rs. 138 crores of RSRTC
 - Rs. 22.50 crores of RSRDC
- Provision of Rs. 250 crores for NABARD assisted road works under RIDF
 - Construction of 50 km. roads and rehabilitation of 2250 km. roads.
- Provision of Rs. 164.85 crores (ACA) under Central Road Fund (CRF)
 - Strengthening, modernisation and renovation of 338 km. State Highway & Major District Roads.
- Provision of Rs. 200 crores under State Road Fund.
 - Construction of 200 km. road length.
- Purchase of 1000 new buses by RSRTC.

VIII. Scientific Services

- Provision of Rs. 5 crores for Science & Technology and Rs. 0.76 crores for Environment Department.

IX. Social & Community Services:

Education

- Total provision of Rs. 1195.59 crores for Education Sector.
- Provision of Rs. 945.35 crores for Elementary Education
 - Includes Rs. 900.00 crores as State Matching Share for Sarva Shiksha Abhiyan (SSA).
- Provision of Rs. 131.29 crores for Secondary Education including State Matching Share for RMSA.
- Provision of Rs. 26.24 crores for University and other Higher Education.
- Provision of Rs. 36.40 crores for Literacy & Continuing Education.
- Provision of Rs. 8.68 crores for Arts & Culture
- Provision of Rs. 39.76 crores for Technical Education
- Provision of Rs. 6.78 crores for Sports & Youth Welfare.

Medical & Health

- Provision of Rs. 475.01 crores for Medical & Health Sector including Ayurved.
- Provision of Rs. 92 crores for Externally Aided Rajasthan Health System Development Project (RHSDP).
- Provision of Rs. 146.50 crores for National Rural Health Mission (NRHM) including Rs.16.50 crores for Mukhya Mantri Jeevan Raksha Kosh Yojana and Rs. 25 crores for Dhanvantari Ambulance Service Yojana.
- Provision of Rs.151.85 crores for Medical & Health Department.
 - Opening of 65 Primary Health Centres
 - Setting up of 30 Community Health Centres
 - Increase of 695 beds.

- Provision of Rs. 51.93 crores for Medical Education including Rs. 20 lakhs for Raj. Health Science University.
- Provision of Rs. 19.88 crores for Ayurved.

PHED

- Provision of Rs. 1230.95 crores for Water Supply Schemes
 - Rs. 555 crores for Urban Water Supply Schemes
 - Rs. 675.49 crores for Rural Water Supply Schemes
 - Rs. 0.46 crores for Training Institute for Engineering Subordinates.
- Above provision also includes Rs. 125.49 crores for Externally Aided Projects
 - Rs. 50 crores for Bisalpur-Jaipur Water Supply Project
 - Rs. 70 crores for reorganization of Urban Water Supply, Jodhpur
 - Rs. 5.49 crores for Aapni Yojana Phase-I.
- Target to cover 110 main & other habitations and 2190 slipped back NC/PC habitations.

Housing & Urban Development

- Provision of Rs. 2601.09 crores for Housing & Urban Development.
- Provision includes IEBR of Rs. 1388.40 crores
 - Rs. 300 crores of Rajasthan Housing Board.
 - Rs. 340 crores of Jaipur Development Authority.
 - Rs. 748.40 crores of Other Urban Local Bodies.
- Provision of Rs. 225 crores for Externally Aided Raj. Urban Sector Development Investment Programme
- Provision of Rs. 68.43 crores for payment of installment to HUDCO for Police Housing.
- Provision of Rs. 307.58 crores for JNNURM.
- Provision of Rs. 134.58 crores for Integrated Housing & Slum Development Programme (IHSDP).
- Provision of Rs. 173.76 crores for Urban Infrastructure Development Scheme for Small & Medium Towns (UIDSSMT).

- Provision of Rs.179.00 crores for Jaipur Metro.
- Provision of Rs. 50 crores for contribution to Rajasthan Urban Development Fund.
- Provision of Rs. 60 crores as grants to ULBs under SFC.
- Provision of Rs. 6 crores as State Matching Share for Swaran Jayanti Shahari Rojgar Yojana (SJSRY)
 - Target to benefit 5500 persons of BPL families under urban self-employment
 - Creation of 1.10 lakh mandays.
- Provision of Rs. 2.66 crores as State Matching Share for National Lake Conservation Plan.
- Construction of 10000 houses in urban areas by Rajasthan Housing Board.

Welfare of Backward Classes

- Provision of Rs. 184.78 crores for welfare of SC/ST/Other Backward Classes.
- Provision includes Rs. 90.38 crores for Post-Matric Scholarship to SC/ST/OBC Students.
 - Target to benefit 437840 students
- Provision of Rs. 21.76 crores for construction of various Hostel Buildings.
- Provision of Rs. 3.01 crores for Pre-matric scholarship to the students whose parents are engaged in unclean occupation
 - Target to benefit 77319 students.
- Provision of Rs. 4 crores to provide infrastructure facilities in 80 Sambal Villages.
- Provision of Rs. 1.95 crores for Protection of Civil Rights to SCs/STs.
- Provision of Rs. 1 crore as matching assistance to RSCSTFDCC.
- Provision of Rs. 22.00 crores for Palanhar Yojana for providing care to destitute children and two children of widow pensioners through close relatives.

- Provision of Rs. 2.00 crores for “Anupriti Scheme” to provide financial assistance to SC/ST students for the preparation of various exams.
- Provision of Rs. 21.95 crores for Devnarayan Yojana.

Social Welfare

- Provision of Rs. 185.22 crores for Social Welfare.
- Provision of Rs. 100 crores for Old-age Pension under NSAP.
 - To provide old-age pension to 5.91 lakh persons
- Provision of Rs. 19 crores for Jan Shree Bima Yojana under NSAP.
 - Life insurance coverage to 26.04 lakh BPL families
- Provision of Rs. 20 crores for Indira Gandhi Rastriya Widow Pension Yojana under NSAP.
- Provision of Rs. 13.31 crores for Indira Gandhi Rastriya Disable Pension Yojana under NSAP.
- Provision of Rs. 8.41 crores for education and welfare of Handicapped Persons
 - Organisation of 3333 Polio Correction Camps
 - Prosthetic Aid to 1216 persons
 - Handicapped Scholarship to 3050 persons
 - Assistance to 300 disabled persons for self-employment & training.
- Provision of Rs. 9.23 crores for Child Welfare.
- Provision of Rs. 2.81 crores for Women Welfare.
- Provision of Rs. 1.79 crores for establishment of Old Age Homes.

Tribal Area Development

- Provision of Rs. 56.09 crores as Special Central Assistance (SCA).
- Provision of Rs. 79.70 crores as ACA under Article 275(1) of the Constitution.
- Provision of Rs. 124.83 crores as untied grant under the "Maharashtra Pattern" for the development of tribal areas.

Women and Children Development

- Provision of Rs. 18 crores for Women Development programme
 - Payment of Honorarium to Sathins
 - For imparting training in managerial capacity building and income generation activities.
 - For providing grant for Community Marriages.
 - For providing assistance to Women SHGs as incentive in rate of interest for timely repayment of loan.
- Provision of Rs. 324.29 crores for Nutrition
 - To benefit 48.37 lacs children and women through Supplementary Nutrition.
 - For payment of Honorarium to Asha Sahyoginis.
 - For payment of Honorarium to anganwari workers and helpers.
 - For administration and training under ICDS.
 - For construction of 380 AWCs Buildings
 - Provision of Rs. 3.63 crores to meet committed liability of NNM Pilot project.

X. Economic Services

- Provision of Rs. 25 crores for Tourism Department
- Provision of Rs. 10 crores for District Poverty Initiative Project Phase-II.
- Provision of Rs. 65.76 crores for Information & Technology including funds for National e-Governance Plan (NeGP).
- Provision of Rs. 7.50 crores for Food & Civil Supply which includes Rs. 7 crores for Annapurna Yojana and Rs. 50 lakhs for Ration Ticket Scheme.

XI. General Services

- Provision of Rs. 50.25 crores for construction of various State and District level buildings.
 - Rs. 18 crores for Police Buildings,
 - Rs. 26.60 crores for New High Court Building at Jodhpur and other Judicial Buildings,
 - Rs. 4.40 crores for GAD Buildings,

- Rs. 1.25 crores for Devsthan.
- Provision of Rs. 1 crore for grant under Rajasthan Investment Promotion Policy-2003.
- Provision of Rs. 18.30 crores to meet the committed liability of 83 fast track courts.
- Provision of Rs. 1.05 crores to meet the running expenditure of Judicial Academy.